भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4535
20.03.2020 को उत्तर के लिए

वेंकटचलम-कोडुर घाट सड़क परियोजना

4535. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राय :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेंकटचलम-कोडुर घाट सड़क परियोजना मंजूरी के लिए वन/पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रालय द्वारा उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अब तक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी या पर्यावरणीय मंजूरी के लिए वेंकटचलम-कोडुर घाट सड़क परियोजना से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जब भी मंत्रालय में सभी प्रकार से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो इस पर मानदंडों के अनुसार शीघ्रता से विचार किया जाता है। पारदर्शिता और गति बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने या अनुमोदन के लिए **'परिवेश'** नामक एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है।

इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि के वनेतर उपयोग वाली सड़कों सहित सभी रेखीय प्रस्तावों पर कार्रवाई करने में विलंब को कम करने के लिए, ऐसे प्रस्तावों पर विचार करने और उनका अनुमोदन करने की शक्ति मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्यायोजित की गई है।

****